



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone: 91-11-25074100/25074200

Remove Watermark Now

NHAI/Policy Guidelines/Finance & Accounts/2020
No.3.5.7 dated the 04th August, 2020
[As per approval given by Chairman on
File No. NHAI/GM(F)/Imprest (Computer File no. 18354)

Sub:- Operation of Imprest Cash amount at PIU- reg.

Vide Sl No.7, Part-III -Miscellaneous Financial Matters of Delegation of Powers Circular No. 11041/217/2007-Admn., Dt. 07.09.2009 ROs have been delegated for sanction of Imprest amount of Rs. 50,000.

2. In the earlier system, when the payments were made from PIU bank account, PIUs could draw the Imprest cash from the PIU Bank account and used to meet the day to day cash requirement towards petty expenses.
3. However, with the functioning of F&A Unit at ROs, all these PIU Bank accounts have become non-operational.
4. Accordingly, the system of Imprest cash account shall be operated as detailed below:-
 - (i) With the approval of the Competent Authority, each PIU shall open a bank account against approved designated personnel of NHAI to operate the Imprest cash.
 - (ii) F&A Unit shall transfer the amount to designated Imprest Cash Bank Accounts of PIUs under their jurisdiction with the approval of RO.
 - (iii) Authorized person at PIU shall withdraw the cash to meet their expenses requirement.
 - (iv) PIUs shall periodically submits the expenditure incurred details to F&A Unit for scrutiny & financial concurrence.
5. F&A Unit shall replenish the PIU Imprest Cash amount by transferring such amount to the respective PIU Imprest Cash Bank Account.
6. This is issued with the approval of the Competent Authority.

(Amarendra Kumar)
CGM (Coord.)

All Officers of NHAI HQ/RO/PIU/CMU

Copy to:

All Members/CVO
PS to Chairman
Hindi Division- for translation in Hindi



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074101

भा.रा.रा.प्रा./नीति दिशानिर्देश/वित्त एवं लेखा/2020

सं. 3.5.7 दिनांक 04 अगस्त 2020

(फाइल सं. भाराराप्रा/महाप्रबंधक(वित्त)/अग्रिम (कम्प्यूटर फाइल सं. 18354)

पर अध्यक्ष द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार)

विषय: प.का.इ. में अग्रिम राशि के संचालन के संबंध में।

शक्तियों का प्रत्यायोजन के विविध वित्तीय मामले क्रम सं. 7, भाग-III के परिपत्र सं. 11041/217/2007-प्रशा., दिनांक 07.09.2009 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को 50000 रु. की अग्रिम राशि की स्वीकृति के लिए प्रत्यायोजित किया गया है।

2. पहले, जब प.का.इ. बैंक खाते से भुगतान किया जाता था तब प.का.इ. सीधे प.का.इ. बैंक खाते से अग्रिम राशि आहरित कर सकता था और रोज़ाना के छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करता था।
3. क्षेत्रीय कार्यालय में वित्त एवं लेखा इकाई के कार्यरत होने के साथ ही ये सभी प.का.इ. बैंक खाते काम में नहीं लिए जा रहे हैं।
4. तदनुसार, अग्रिम राशि खाता का संचालन इस प्रकार किया जाएगा :-
 - (i) प्रत्येक प.का.इ. द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अग्रिम राशि के प्रचालन के लिए भाराराप्रा के अनुमोदित कार्मिक के नाम पर एक बैंक खाता खोला जाएगा।
 - (ii) वित्त एवं लेखा इकाई क्षेत्रीय अधिकारी के अनुमोदन से अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प.का.इ. के अग्रिम राशि बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण करेगा।
 - (iii) आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए प.का.इ. का प्राधिकृत व्यक्ति नगदी का आहरण कर सकता है।
 - (iv) खर्च की गई राशि का विवरण प.का.इ. द्वारा समय-समय पर वित्त एवं लेखा इकाई को जांच एवं वित्तीय सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
5. वित्त एवं लेखा इकाई द्वारा प.का.इ. अग्रिम राशि की भरपाई उस राशि को संबंधित प.का.इ. के अग्रिम राशि बैंक खाते में अंतरण करके किया जाएगा।
6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(अमरेन्द्र कुमार)

उप महाप्रबंधक (समन्वय)

प्रति,

भाराराप्रा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/प.का.इ./सीएमयू के सक्षी अधिकारी

प्रतिलिपि

- (i) सभी सदस्य/सीवीओ
- (ii) अध्यक्ष के निजी सचिव